संख्या-6/2015/13 सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 08 जनवरी, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में गन्ना आयुक्त अधिष्ठान के अन्तर्गत बिजली बिलों के भुगतान हेतु लिए गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत शक्कर विशेष निधि मद में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 15.12.2014 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कार्यसूची संख्या-9 के अनुसार, अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष गन्ना आयुक्त अधिष्ठान के अन्तर्गत बिजली बिलों के भुगतान हेतु अन्तग्रामीण सड़क निर्माण योजना से लिए गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 8,35,000/- (रुपया आठ लाख पैंतीस हजार मात्र) आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि देयता की वास्तविकता की पुनः जाँच भी कर ली जाये।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का व्यय शक्कर विशेष निधि के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस- 2014-231/14, दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं संख्या-बी-2-3361/दस- 2014-244/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा। साथ ही स्वीकृत धनराशि का भुगतान करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन प्रचार कार्यो की मदों में भुगतान किया जा रहा है, उन प्रचार कार्यो का आयोजन किसी अन्य संस्था/स्रोत से न किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लें कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत शासनादेशों/नियमों में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से कोई अन्य व्यय वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2015 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी0एल0ए0 अथवा पोस्टआफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उक्त मद/कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

7- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू0 8,35,000/- (रूपया आठ लाख पैंतीस हजार मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के अधीन लेखा शीर्ष-''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-03-उ0प्र0 शक्कर फैक्ट्रियां पुनः स्थापना आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय''के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-6/2015/13(1)सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सँयोजक, उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट□ अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in